REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238353 CG-DL-E-24082022-238353

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3826] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944 No. 3826] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

का.आ. 4000(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात, यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना) - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से इक्यानवेवां (91वां) दिन पर प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए बने ऐसे माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

5719 GI/2022

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- भारतीय मानक ब्यूरो, इस आदेश में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति- कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

	माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
	(1)	(2)	(3)
ĺ	हाइड्रोजन पेरोक्साइड	आईएस 2080: 2021	स्टेबिलाइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए विशिष्टता

[फा. सं. सी.II-13012/28/2019-रसा.II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

S.O. 4000(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Hydrogen Peroxide (Quality Control) Order, 2020, except and respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title, commencement and application.— (1) This Order may be called the Hydrogen Peroxide (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the ninety-first day from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standard and compulsory use of standard mark.— Goods or article specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.— The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in this order.

4. Penalty for contravention.— Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian standard	Title of Indian standard
(1)	(2)	(3)
Hydrogen Peroxide	IS 2080: 2021	Specification for Stabilized Hydrogen Peroxide

TABLE

[F. No.C.II-13012/28/2019-Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.